

प्रकरण में श्री विश्वनाथ झा
Mr. श्री इंटरनेशनल कं. लि. फ-22,
एच-1, सीतापुरा, डी.के. सोमेश्वर,
आपुरा जाकर घटना का खारा
जाया गया। इस सम्बन्ध में श्री.
विश्वनाथ झा रिपोर्ट, फ.ए.के.ए.
में राजीनामा आ कोले जाते हुए
आ है, जो इंटरनेशनल में ऊपर
कार्यवाही प्रारंभ है।

22/10/2020

अपुरा महेश्वर

नियोजक को नोटिस जारी करें।

22/10/2020

Sec-10(15) Notice

रजि०ए.डी. नोटिस

न्यायालय आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 जयपुर, शहर, जयपुर

क:- 380

जयपुर, दिनांक:- 05.10.2020

श्री सोनी इन्टरनेशनल फैक्ट्री,
श्री जोन, सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया,
जयपुर।

विषय:- टैंक की सफाई के दौरान श्रमिक अजय की मृत्यु होने एवं 3 अन्य घायल होने के संबंध में कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की धारा-10 (क) के तहत नोटिस के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपकी संस्थान में टैंक की सफाई दौरान कार्यरत श्रमिक, निवासी मालवीय नगर, जयपुर की मृत्यु होने एवं अन्य 03 श्रमिक घायल हुये है, जिसका स्थाने में प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज हुयी है।

अतः आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि अन्तर्गत कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की धारा-10 के तहत आप द्वारा 30 दिवस में प्रतिकर राशि जमा करवाया जाना आवश्यक है, अगर दुर्घटना के संबंध में प्रतिकर बाबत आप अपना दायित्व उत्पन्न होना स्वीकार करते है तो कारण स्पष्ट करें।

यह नोटिस आज दिनांक 05.10.2020 को न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

25-10-2020

(धर्मपाल सिंह)

आयुक्त,

कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

जयपुर।